कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड , भोपाल – 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in
सत्यमेव जयते
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक/नि.वि1/स-1/डी- 555 दिनांक 26 -07-2021

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी,
संभागीय लेखा अधिकारी-1 एवं 2 एवं
संभागीय लेखापाल
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग/ लोक निर्माण विभाग/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग

विषय:- संभाग के माध्यम से होने वाले मासिक व्ययों की जानकारी प्रेषित करने के संबंध में |

उपरोक्त विषय में लेख है कि संभाग से संबंधित निम्नांकित जानकारी संभागवार एवं माहवार इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित संभागों के ऐसे समस्त व्यय जो सस्पेंस शीर्ष के माध्यम से Central Head में दर्ज होते हैं एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी-रायपुर को भेजे जाते हैं |

(2) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत एन.डी.बी. योजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के अन्तर्गत व्यय, जिनका भुगतान संबंधित संभाग द्वारा नहीं किया जाकर, कार्यालय कार्यपालन यंत्री - लोक निर्माण विभाग - संधारण संभाग क्रमांक-2 - भोपाल या अन्य किसी संभाग के माध्यम से किया जा रहा है |

(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों के अन्तर्गत किये जाने वाले ऐसे समस्त व्यय, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत किये जा रहे हैं, एवं ऐसे व्यय इस कार्यालय को भेजे जाने वाले मासिक लेखों में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं |

उपरोक्त व्ययों के सम्बन्ध में, संबंधित संभाग माहवार जानकारी, वर्तमान में माह 01/2019 से माह 06/2021 तक की, तत्पश्चात माह 07/2021 से 12/2021 तक की, इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करें, ताकि मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र दिनांक 20-03-2015 में यथानिर्देशित, प्रत्येक 03 वर्षों में संभागवार व्यय (वर्क लोड) की समीक्षा करते हुए, उक्त व्यय का वास्तविक आंकलन, जो कि वर्ष 2022 से 2024 के लिये होगा, किया जा सके |

(प्राधिकार:- वरिष्ठ उप महालेखाकार (नि.ले.) के आदेश दिनांक 26-07-2021)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी /नि.वि.1

प्र क्रमांक/नि.वि.1/ स-1/डी- 556 दिनांक 26 --07-2021

प्रतिलिपि,

समस्त संभागीय अधिकारी - लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को आवश्यक कार्यवाही हेतु |

वरिष्ठ लेखा अधिकारी /नि.वि.1